



प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : ०७ दिसम्बर, 2017

महोदय,

कृपया शासन की पत्रावली सं०-21/13(413/XLI-1/13) व उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक-16535 दिनांक 06-02-2013, शासन की पत्रावली सं०-24/13 (544/XLI-1/13) व उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक-16536 दिनांक 06-02-201, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के पत्रांक-2151 दिनांक 22-09-2017 एवं आख्या पत्रांक-1583 दिनांक 06-07-2017 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय-5 की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है:-

क्र	संस्थान	पाठ्यक्रम	सत्र/प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीटें)				
			सत्र 2010-11	सत्र 2011-12	सत्र 2012-13	सत्र 2013-14 से 2015-16	सत्र 2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरदार भगवान सिंह पी०जी० इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च, ग्राम पो०-बालावाला, देहरादून।	बी०फार्मा० एम०फार्मा०(फार्मास्यूटिक्स) फर्स्ट शिफ्ट एम०फार्मा०(फार्मास्यूटिक्स) सेकेण्ड शिफ्ट एम०फार्मा०(फार्माकोग्नॉसी) एम०फार्मा०(फार्माकोलॉजी एण्ड टोक्सीलॉजी)	60 18 --- --- ---	60 18 --- 18 ---	पूर्व में प्राप्त पूर्व में प्राप्त 18 --- 18	60 18 18 18 18	100 18 --- 18 18

- संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में मानकानुसार फ़ैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान (व इस प्रकरण में शासन) के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थानों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा० कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में नियामक संस्था/शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/ कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....2/-

